131

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–दतिया

हरीशंकर पुत्र स्व. श्री दंगल सिंह कुम्हार, निवासी– भाण्डेर रोड, थाने के पास, दतिया

...... आवेदक

R (41- I)13

विरुद्ध

(1) श्रीमती मंजुलता प्रजापति पत्नी स्व. श्री गिरवर सिंह

(2) नवदीप पुत्र स्व. श्री गिरवर सिंह

(3) प्रदीप नाबालिग पुत्र स्व. श्री गिरवर सिंह संरक्षक माँ मंजुलता प्रजापति

(4) प्रियंका पुत्री स्व. श्री गिरवर सिंह
निवासीगण– भाण्डेर रोड देहात थाने के पास दतिया तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

(5) रामप्रसाद पुत्र स्व. श्री दंगल सिंह

(6) हरप्रसाद पुत्र स्व. श्री दंगल सिंह
निवासीगण– बराना तहसील भाण्डेर, जिला–दतिया (म.प्र.)

(7) चेतराम पुत्र स्व. श्री दंगल सिंह प्रजापति, निवासी– विधायक कॉलोनी भाण्डेर तहसील भाण्डेर, जिला–दतिया (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

<u>न्यायालय कलेक्टर, जिला–दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/11–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.10.2012 एवं तहसीलदार वृत्त दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व **संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, दतिया गिर्द की आराजी सर्वे नं. 1087/मि. 2 रकबा 0.009 हेक्टेयर भूमि में वर्तमान में दंगल प्रसाद पुत्र धन्यू के नाम दर्ज है। दंगल सिंह की मृत्यु के बाद उनके वैध वारिसान के हक के आधार पर तहसीलदार वृत्त दतिया के समक्ष नामान्तरण का आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि वैध वारिसानों के हक के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण इन्द्राज किया जावे। प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 5, 6, एवं 7 एवं आवेदक को नोटिस जारी कर तलब किया गया। आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 5, 6, 7 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र का जबाव प्रस्तुत किया, जिसके साथ आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 5, 6, व 7 द्वारा पृथक से एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सहपठित धारा 32 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत कर लेख किया कि वर्तमान में उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा मकान बनाकर उसमें

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–141–एक / 2013 जिला– दतिया

हरिशंकर विरूद्ध श्रीमती मंजुलता प्रजापति आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 15/2011–12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 20/6/19 सदस्य	